संख्या- 142/2018/992/22-4-18-48(70)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 28 सितम्बर, 2018

विषय- कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थापित वॉच टावरों में रोटेटिंग एलईडी सर्च लाइट एवं हैण्डहेल्ड एलईडी सर्च लाइट की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28263/आधु-1/सर्च लाइट, वाइनाकुलर/2018, दिनांक- 06.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थापित वॉच टावरों में 124 रोटेटिंग एलईडी सर्च लाइट तथा 510 हैण्डहेल्ड एलईडी सर्च लाइट की स्थापना/क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 88.04 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि रू0 88,04,000/-(रूपया अठ्ठासी लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न-1 एवं 2 के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) रोटेटिंग एलईडी सर्च लाइट एवं हैण्डहेल्ड एलईडी सर्च लाइट की स्थापना/क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनदेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु, एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं का क्रय के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

(3) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता का प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारगारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-142/2018/992(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-142/2018/992/22-4-18-48(70)/18, दिनांक-28.09.2018 का संलग्नक-1

कारागारों में मुख्य प्राचीरों से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित वॉच टावरों में रिवाल्विंग सर्च लाइट की व्यवस्था

क्र0	कारागार का नाम	स्थापित वॉच टावरों की संख्या	प्रस्तावित रिवाल्विंग सर्च लाइट	दर प्रति यूनिट	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1	जि0का0 उन्नाव	4	2	48999	97998
2	जि0का0 झांसी	4	4	48999	195996
3	के0का0 नैनी	4	4	48999	195996
4	के0का0 आगरा	4	4	48999	195996
5	जि0का0 फैजाबाद	4	4	48999	195996
6	जि0का0 फिरोजाबाद	5	5	48999	244995
7	जि0का0 कासगंज	5	4	48999	195996
8	के0का0 बरेली	5	4	48999	195996
9	जि0का0 बरेली	5	5	48999	244995
10	जि0का0 महराजगंज	5	3	48999	146997
11	जि0का0 आजमगढ़	6	6	48999	293994
12	जिला कारागार,सिद्वार्थनगर	5	4	48999	195996
13	जि0का0 कानपुर देहात	5	5	48999	244995
14	जि0का0 कन्नौज	5	5	48999	244995
15	आ0का0 लखनऊ	4	4	48999	195996
16	जि0का0 लखनऊ	10	7	48999	342993
17	जि0का0 बागपत	5	5	48999	244995
18	जि0का0 मेरठ	5	5	48999	244995
19	जि0का0 कौशाम्बी	6	6	48999	293994
20	के0का0 वाराणसी	5	5	48999	244995
21	जि0का0 सोनभद्र	6	6	48999	293994
22	जि0का0, गौतमबुद्धनगर	9	9	48999	440991
23	जि0का0 अलीगढ़	5	5	48999	244995
24	जि0का0 एटा	4	4	48999	195996
25	जि0का0 चित्रकूट	6	0	48999	0
26	जि0का0 आगरा	4	0	48999	0
27	के0का0 फतेहगढ़	4	0	48999	0
28	जि0का0 पीलीभीत	5	5	48999	244995
29	जि0का0 गोरखपुर	4	4	48999	195996
	योग-	148	124	-	6075876 अर्थात रू0 60.755 लाख

(अर्थात रूपया साठ लाख पचहत्तर हजार पॉच सौ मात्र)

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-142/2018/992/22-4-18-48(70)/18, दिनांक-28.09.2018 का संलग्नक-2

प्रदेश की सभी कारागारों में हैण्डहेल्ड सर्च लाइट (अत्याधुनिक टार्च) की व्यवस्था कराये जाने हेतु कारागारवार सूची

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित संख्या	कुल लागत
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	10	
2	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	10	53500
3	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	10	53500
4	केन्द्रीय कारागार बरेली	10	53500
5	केन्द्रीय कारागार आगरा	10	53500
6	जिला कारागार आगरा	10	53500
7	जिला कारागार फिरोजाबाद	10	53500
8	जिला कारागार अलीगढ़	10	53500
9	जिला कारागार एटा	10	53500
10	जिला कारागार झांसी	10	53500
11	जिला कारागार बरेली	10	53500
12	जिला कारागार बदायूँ	10	53500
13	जिला कारागार शाहजहाँपुर	10	53500
14	जिला कारागार मुरादाबाद	10	53500
15	जिला कारागार लखनऊ	10	53500
16	जिला कारागार उन्नाव	10	53500
17	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर	10	53500
18	जिला कारागार सहारनपुर	10	53500
19	जिला कारागार मुजफ्फरनगर	10	53500
20	जिला कारागार वाराणसी	10	53500
21	जिला कारागार बांदा	10	53500
22	जिला कारागार गारेखपुर	10	53500
23	जिला कारागार गाजियाबाद	10	53500
24	जिला कारागार फैजाबाद	10	53500
25	जिला कारागार बाराबंकी	10	53500
26	जिला कारागार सुल्तानपुर	10	53500
27	जिला कारागार सीतापुर	10	53500
28	जिला कारागार कानपुर	10	53500
29	जिला कारागार गोण्डा	10	53500
30	जिला कारागार आजमगढ़	10	53500
31	जिला कारागार बुलन्दशहर	10	53500
32	जिला कारागार मेरठ	10	53500
33	जिला कारागार बलरामपुर	05	26750
34	जिला कारागार मऊ	05	26750
35	जिला कारागार बलिया	05	26750
36	जिला कारागार कौशाम्बी	05	26750
37	जिला कारागार कासगंज	05	26750
38	जिला कारागार ललितपुर	05	26750

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

39	जिला कारागार उरई	05	26750
40	जिला कारागार मैनपुरी	05	26750
41	जिला कारागार मथुरा	05	26750
42	जिला कारागार फतेहपुर	05	26750
43	जिला कारागार प्रतापगढ़	05	26750
44	जिला कारागार गाजीपुर	05	26750
45	जिला कारागार जौनपुर	05	26750
46	जिला कारागार मिर्जापुर	05	26750
47	जिला कारागार सोनभद्र	05	26750
48	जिला कारागार ज्ञानपुर	05	26750
49	जिला कारागार चित्रकूट	05	26750
50	जिला कारागार हमीरपुर	05	26750
51	जिला कारागार महराजगंज	05	26750
52	जिला कारागार देवरिया	05	26750
53	जिला कारागार बस्ती	05	26750
54	जिला कारागार सिद्वार्थनगर	05	26750
55	जिला कारागार पीलीभीत	05	26750
56	जिला कारागार रामपुर	05	26750
57	जिला कारागार बिजनौर	05	26750
58	जिला कारागार रायबरेली	05	26750
59	जिला कारागार हरदोई	05	26750
60	जिला कारागार खीरी	05	26750
61	जिला कारागार कानपुर देहात	05	26750
62	जिला कारागार इटावा	05	26750
63	जिला कारागार फतेहगढ़	05	26750
64	जिला कारागार कन्नौज	05	26750
65	जिला कारागार बागपत	05	26750
66	जिला कारागार बहराइच	05	26750
67	उप कारागार देवबन्द	05	26750
68	उप कारागार महोबा	05	26750
69	आदर्श कारागार लखनऊ	05	26750
70	नारी बंदी निकेतन लखनऊ	05	26750
	योग-	510	2728500 **रू0 27.285 लाख**

(रूपया सत्ताईस लाख अठ्ठाइस हजार पॉच सौ मात्र)

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in